मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2009 (अग्रहायण 2, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री मुन्ना सिंह नरवरिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-31-2009-आठ, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2005-2006 (मई 2005 तक),

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(i)मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का षष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च,2008 तक,

(ii)मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का पंचम् एवं छटवां वार्षिक प्रतिवेदन क्रमश: दिनांक 31 मार्च, 2007 तथा 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि का,

(iii) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008,

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(1) क्रमांक 2299-म.प्र.वि.नि.आ./2006, दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 तथा

(2) क्रमांक एफ 3-20-1998-तेरह, दिनांक 9 नवम्बर, 2009

पटल पर रखेंगे.

-2-

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, मंडला जिले में खनिज अपराधियों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे..

(2) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, प्रदेश के विद्यालयों में चयनित संविदा शिक्षकों को नियुक्ति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ कोतवाली थानांतर्गत अनेक हत्यायें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. कल्पना परूलेकर, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, उज्जैन जिले में अस्थाई कनेक्शन के नाम पर किसानों से अवैध वसूली किये जाने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य, रीवा अमरकंटक सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री अजय यादव, श्री अरूणोदय चौबे, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सागर स्थित डफरीन महिला अस्पताल को बंद किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य, ओबेदुल्लागंज नागपुर सड़क मार्ग पर संकीर्ण पुलिया होने से आये दिन जाम लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, लोकलेखा समिति का 1 से 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6.याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम लोहरी का पुरा मजरा चन्दोखर में पेयजल की व्यवस्था किये जाने,

(ख)ग्राम रामपाल के पुरा में विद्युत की समुचित व्यवस्था किये जाने,

(ग) ग्राम रामपाल के पुरा से चंदोखर तक मार्ग निर्माण एवं पुलिया मरम्मत किये जाने; तथा

(घ) चंदोखर के बीजासेन मंदिर के समीप एक हेण्डपंप खनन किये जाने,

(2) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम बहेरा नानकार में पशु औषधालय खोले जाने,

(ख) ग्राम बहेरा नानकार में आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाने,

(ग) ग्राम शाहपुर की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा

(घ) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पाडर (शंकुल) का उन्नयन किये जाने

(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम आलीवाड़ा में पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने,

(ख) ग्राम भौंडिया पानी तथा लिंगा में विद्युत व्यवस्था किये जाने, तथा

(ग) ग्राम आलीवाडा में सिंचाई बांध निर्माण किये जाने

(4) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले के -

(क) ग्राम सांडिया की माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(ख) घाट पिपरिया पानी की टंकी के पास से ग्राम मुडापारा तक सड़क निर्माण किये जाने

(ग) विकासखंड प्रभात पट्टन के जवाहर नवोदय विद्यालय तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(घ) विकासखंड प्रभात पट्टन से भगत सिंह रोड तक सड़क निर्माण किये जाने,
(ङ) ग्राम देवगांव में मिडिल स्कूल खोले जाने, तथा
(च) ग्राम टेमझिरा के केकड्या ढाना में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने,

(5) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
(क) ग्राम सेसाडाबर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ख) ग्राम बैरागढ़ में हाई स्कूल खोले जाने,
(ग) ग्राम नांदनेर से मिढ़वानी (देवरी) तक सड़क निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम दहलवाड़ा एवं बेलखेड़ी के बीच उमर नदी पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने

(6) श्री विश्वामित्र पाठक, सदस्य, सीधी जिले के -
(क) ग्राम मुर्दाडीह का नाम परिवर्तित कर रामडीह II किये जाने, तथा
(ख) ग्राम घिनहागांव का नाम परिवर्तित कर शान्तिगांव किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. वक्तव्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री, दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 100 (क्रमांक 2013) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री पारस चन्द जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, दिनांक 6 जुलाई, 2009 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 426) के उत्तर में संशोधन करने के सबंध में वक्तवय देगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 30 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2009 (क्रमांक 26 सन् 2009)पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण (निरसन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 27 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रस्ताव करेंगे कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 28 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 29 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 नवम्बर, 2009